

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:-21.06.2024

स्वायत्त शासन विभाग हेतु राजस्व अधिकारी ग्रेड-।। एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-iv प्रतियोगी परीक्षा-2022 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच हेतु दिनांक 21.11.2023 को विचारित सूची जारी की गई थी।

राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी वर्ग एवं स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी वर्ग हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता जांच हेतु उक्त विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों के अधिक संख्या में अपात्र पाये जाने के कारण निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया जाता है-

## रोल नम्बर

1003671	1014220	1033428	1081421	1091687	1091890
1114171 (P)	1122271	1128049	1131376	1138054	1143411
1146065	1146669	1155632	1158577	1159200	1164257
1172403	1208656	1384198	1403021	1404641	1405991
1414102	1419814	1441157	1455582	1522718	
					TOTAL CANDIDATES:- 29

यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किये जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/वरीयता सूची नहीं है, अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जावेगी।

दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउन्सलिंग के माध्यम से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउन्सलिंग के समय उपस्थित हों। काउन्सलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग की वेबसाईट एवं अन्य माध्यम से यथासमय पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जायेगी तथा पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची एवं आरक्षित सूची जारी की जावेगी।

नोट:-

1. 'P' से तात्पर्य प्रोविजनल से है।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2994/2024 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.02.2024 की पालना में याची अभ्यर्थी रोल नम्बर-1089533 को राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी वर्ग हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग में अस्थाई रूप से विचारित किया गया है।

याची अभ्यर्थी प्राप्तांकों के आधार पर उक्त वर्ग के कट ऑफ मार्क्स में नहीं आ रहा है।

(आशुतोष गुप्ता)  
मुख्य परीक्षा नियंत्रक